

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- लेखा/एसपीओ/2023/

दिनांक:

संयुक्त निदेशक, (समस्त)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/

बीकानेर/भरतपुर

विषय:-वसूली राशि संबंधित सूचना भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ:-इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4593-4600 दिनांक 08.07.2022 एवं 5398 दिनांक 22.09.2023

उपरोक्त विषय में लेख है कि दिनांक 31.03.2012 तक निदेशालय स्तर पर भण्डार क्रय संगठन द्वारा दर संविदा की जाती थी। अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्यादेश एवं भुगतान का कार्य किया जाता था। M/S ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD. CHANDIGARH (India) द्वारा प्रतिभूति राशि लौटाने हेतु निदेशालय को पत्र लिखा गया है।

अतः आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त फर्म के विरुद्ध आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार अंकक्षण प्रतिवेदन या अन्य किसी भी प्रकार की बकाया वसूली/शिकायत का प्रकरण साथ ही आपूर्ति आदेश दर संविदा एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सामग्री आपूर्ति का कार्य सन्तोषप्रद निष्पादन कर दिया गया तथा किसी भी प्रकार की वसूली/बकाया फर्म के विरुद्ध देयता नहीं है की पूर्ण सूचना 15 दिवस की अवधि में निदेशालय में भिजवाने का श्रम करें।

निर्धारित अवधि में उक्त सूचना नहीं भिजवायी जाने पर भविष्य में किसी भी प्रकार की बकाया वसूली पाये जाने पर आपकी स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 20/5/24

क्रमांक:- लेखा/एसपीओ/2023/ 571

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर